2

गुगलपुरा

30-8-22

FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

भू.अभिलेख निरीक्षक सांवलपुरा तंवरान बनाम भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर

किस्म मुकदमा–प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 एल.आर.एक्ट, मुकदमा नम्बरः– 52/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
30.08.2022	भू. अभिलेख निरीक्षक सांवलपुरा तंवरान ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन है कि प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 में आयोजित कैम्प ग्राम पंचायत जुगलपुरा में दिनांक 06.10.2021 में राजस्व ग्राम जुगलपुरा के भूमि खसरा नम्बर 1689, 1694, 1691, 1690, 1680, 1678/1, 1678/2, 1678/3, 1678/4, 1678/5, 1669, 1672, 1851, 1886 में से जुगलपुरा में गूर्जर की थड़ी से सती माता के मंदिर तक के रास्ते को मुताबिक निर्णय आदेश दिनांक 06.10. 2022 के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करने के आदेश प्राप्त हुए थे। जिसकी पालना में भूमि खसरा नम्बर 1669, 1672, 1678/1, 1678/2, 1678/3, 1678/4, 1678/5, 1691, 1694, 1689, 1690, 1680 में रास्ता दर्ज हो चुका है। आदेश में खसरा नम्बर 1846 की बजाय .खसरा नम्बर 1886 दर्ज है जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट में प्रस्ताव तैयार करते समय सहवन से गलत खसरा नम्बर 1886 रकबा 5.68 हैक्टर किस्म बंजड़ सिवायचक दर्ज हो गया जबकि जमाबन्दी में सही खसरा नम्बर 1846 रकबा 5.68 हैक्टर किस्म बजंड सिवायचक सही दर्ज है। उक्त आदेश में दर्ज खसरा नम्बर 1886 के बजाय खसरा नम्बर 1846 में रास्ता दर्ज करने के शुद्धि आदेश दिये जाने हेतु निवेदन किया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सलंग्न पटवारी हल्का सांवलपुरा तंवरान व भू.अ.निरीक्षक सांवलपुरा तंवरान की संयुक्त रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति, जारी निर्णय आदेश की प्रति, प्रस्ताव की फोटो प्रति, जमाबन्दी की फोटोप्रति इत्यादि भी पेश की है। जिसके सम्बन्ध में भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वार्ता की जाने पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने उक्त खसरा नम्बर 1886 के बजाय खसरा नम्बर 1846 में रास्ता दर्ज करने के शुद्धि आदेश कर दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने भू.अभिलेख निरीक्षक वृत्त सांवलपुरा तंवरान की रिपोर्ट के आधार पर की है। हमने पत्रावली व पत्रावली [illegible] दस्तावेजात् यथा नजरी नक्शा ट्रेस की फोटोप्रति, जमाब[illegible] सम्व[illegible]74–2077, भू. अभिलेख निरीक्षक व पटवा[illegible] रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया। जिसके अवलोकन से [illegible] होता है कि भूमि खसरा नम्बर 1846 के बजाय खसरा नम्बर 18[illegible] में रास्ता दर्ज करने के प्रस्ताव पटवारी हल्का सांवलपुरा तंवरान द्वारा सहवन से भिजवा दिये गये है। जिसको शुद्ध कर खसरा नम्बर 1886 के बजाय खसरा नम्बर 1846 में रास्ता दर्ज करने के शुद्धि आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। –लगातार–	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:15:37 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व ता... अहकाम जो... हुक्म की ता... जारी हुये
1973/रीडर 31-8-22	अतः तहसीलदार श्रीमाधोपुर की मौखिक अभिशंषा के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट का स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया जाता है कि वे मुताबिक रिपोर्ट भू.अभिलेख निरीक्षक वृत्त– सांवलपुरा तंवरान के अनुसार रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा में ग्राम जुगलपुरा के भूमि खसरा नम्बर 1886 के बजाय खसरा नम्बर 1846 में रास्ता दर्ज कर दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करे। इस बाबत तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट दर्ज रजिस्टर की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 30/08/22 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:15:37 IST
Reason: SelfAttested